

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 मार्च, 2012

संख्या सी०सी०पी० (एन०सी०आर०)/एफ०बी०डी०/एम०जे०पी०यू०आर०/सी०ए०/2012/688.—चूंकि, सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गये क्षेत्र भवन गतिविधियों तथा अव्यवस्थित विकास के लिए संभाव्य है;

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् :—

अनुसूची

गांव मौजपुर (हदबस्त संख्या 88), तहसील तथा जिला फरीदाबाद की राजस्व सम्पदा में नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची ड्राईंग संख्या डीटीपी (एफ) 2664/11, दिनांक प्रथम अगस्त, 2011 के साथ पढ़ा जाए।

पाकेट-क:- गांव मौजपुर (हदबस्त संख्या 88) का राजस्व क्षेत्र जो कि आयत संख्या 1 से 9 में समाविष्ट है।

पाकेट-ख:- गांव मौजपुर (हदबस्त संख्या 88) का राजस्व क्षेत्र जो कि आयत संख्या 10 से 21 में समाविष्ट है।

एस० एस० डिल्लों,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

[ Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 7th March, 2012 ]

**HARYANA GOVERNMENT**  
**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**

**Notification**

The 7th March, 2012

**No. CCP(NCR)/FBD/MJPUR/CA/2012/686.**—Whereas, in the opinion of the Government, the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto has the potential for building activities and haphazard development;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely :—

**Schedule**

Schedule of boundaries of controlled area in revenue estate of village Maujpur (Habast Number 88), tehsil and district Faridabad to be read with the Drawing No. DTP(F)/2664/11, dated the 1st August, 2011.

**Pocket-A:—** The revenue area of village Maujpur (Hadbast Number 88) comprising of rectangle number 1 of 9.

**Pocket-B:—** The revenue area of village Maujpur (Hadbast Number 88) comprising of rectangle number 10 of 21.

**S. S. DHILLON,**  
Financial Commissioner and Principal Secretary to  
Government Haryana,  
Town and Country Planning Department.